

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
40 / 2019

दायर दिनांक
20.05.2019

निर्णय दिनांक
30.03.2021

अनवान

1. मुरलीदास पिता सत्यनारायण जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. बनिता उर्फ विनिता पिता सत्यनारायण जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. निरा उर्फ नेहा पिता सत्यनारायण जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. सुशिला बेवा सत्यनारायण जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. शांताबाई पत्नी भंवरलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा(धमाणा) तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. मदनलाल पिता पन्नालाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. अर्जुनलाल पिता देवीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. बंशीलाल पिता देवीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय
- 4 / 1. अमित पिता बंशीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
- 4 / 2. मनोज पिता बंशीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
- 4 / 3. सीमा पिता बंशीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
- 4 / 4. कंचन पिता बंशीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
- 4 / 5. कमला पत्नी बंशीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. गोपाल पिता देवीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. रमेश चन्द्र पिता देवीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

7. गणेशीबाई पत्नी देवीलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
8. प्रहलाद पिता शंकरलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
9. नरेश पिता शंकरलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
10. राजाराम पिता शंकरलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
11. अमित पिता शंकरलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
12. सुमित्रा देवी बेवा शंकरलाल जाति सेवक आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल माली
अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

--:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 874 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3174, 3175, 3203, 3204 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2, व 5 से 11 बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 2 व 5 से 11 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। व अप्रार्थी संख्या 3 की तलवी अप्राप्त। अप्रार्थी संख्या 4 के पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने इश्तदुआ की, जो स्वीकार की जाकर पक्षकार नहीं बनाया जाता है इस पर हाजिर वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इश्तदुआ की गई। हाजिर वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 874 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3174, 3175, 3203, 3204 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन